न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–हरदा

जमीला बी मृतक द्वारा विधिक वारिसान
1 इमदाद खॉ पुत्र श्री रफाकत खॉ
2 श्रीमती जाहीदा खॉ पुत्री रफाकत खॉ
निवासीगण – वार्ड नं. 29 हरदा (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1 श्रीमती शिखा पत्नी नरेश दुबे
2 नरेश पुत्र श्री मूलचन्द्र जी दुबे
निवासीगण – कलेक्टर ऑफिस के पास हरदा (म.प्र.)

.......अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त नमृदा पुरम संभाग होशागाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक 368/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा ग्राम हरदा खुर्द में स्थित भूमि खसरा नं. 221/3, 221/7 रकबा 1.416 है0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक हरदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर प्रकरण क्रमांक 6/अ–12/2011–12 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 18.06.2014 पारित किया गया। तत्पश्चात् कब्जा प्राप्त हेतु संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही तहसीलदार हरदा के समक्ष प्रारंभ की गयीं। जिसपर प्रकरण क्रमांक 01/अ–70/2014–15 पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 28.05.2015 पारित कर कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./हरदा/भू.रा./17/2850 जमीला बी विरूद्ध शिखा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 -09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. दिनांक 27-08-2018 को आवेदिका के अभिभाषक श्री कमलेश द्विवेदी को सुना गया । अनावेदकगण द्वारा शिखा पत्नी नरेश दुबे द्वारा राजस्व निरीक्षक हरदा के समक्ष ग्राम हरदा खुर्द की भूमि खसरा नं. 221/3, 221/7 रकबा 1.416 हे. का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ-12/2011-12 दर्ज कर दिनांक 18-06-2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । सीमांकन आदेश के आधार पर कब्जा प्राप्त करने हेतु संहिता की धारा 250 के अंतर्गत तहसीलदार हरदा के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 28-05-2015 को कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध जमीला बी के वारिसों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22-07-2016 को आदेश पारित कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वह मृतक भूमिस्वामी के वैद्य वारिसों एवं उत्तरवादीगणों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण-दोषों के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-01-2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इस आधार पर निरस्त किया गया है कि भू.रा. संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम अपील में	

1/3

(1)

(2)

पारित आदेश से प्रकरण प्रतिप्रेषित(Remand) नहीं किया जा सकता है । अपर आयुक्त के द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-05-2015 के संबंध में कोई मत नहीं दिया है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया ।

4. अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका शिखा द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रकरण क्रमांक 6/अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18-06-2014 के आधार पर कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार हरदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28-05-2015 को कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया है । इसी प्रकरण से संबंधित राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश दिनांक 18-06-2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./हरदा/भू.रा./17/2848 प्रस्तुत की गई थी । जिसमें दिनांक 10-09-2018 के आदेश द्वारा सरहदी काश्तकार को विधिवत सूचना न होने के कारण सीमांकन को उचित न पाते हुए निरस्त किया गया है, एवं प्रकरण तहसीलदार हरदा को प्रत्यावर्तित किया गया है कि निगरानीकर्ता जमीला एवं गैरनिगरानीकर्ता की भूमियों का तीन माह की समय सीमा में विधिवत फीस जमा कराकर विधिवत सूचना देने के उपरांत दोनों पक्षों की भूमियों का सीमांकन कराया जाये ।

5. जब किसी भूमि के संबंध में सीमांकन निरस्त हो जाता है तब उसके पश्चात की जा रही संहिता की धारा 250 की कार्यवाही स्वत: ही निरस्त अथवा निष्प्रभावी हो जाती है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार हरदा एवं दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेशों का प्रभाव निष्प्रभावी हो गये है ।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तीन माह की समय-सीमा में उभय पक्षों से विधिवत फीस जमा कराकर एवं विधिवत प्रक्रिया अपनाकर उभय पक्षों की भूमियों का पुन: सीमांकन करने के उपरांत अतिक्रमण के संबंध में निर्णय करें ।

7. यह आदेश उभय पक्षों एवं तहसीलदार पर बंधनकारी होगा ।

8. उभय पक्ष के अभिभाषकों को नोट कराया जाये ।

सदस्य 11.9.2018

3/3

(3)

(4)